ई-मेल

महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-381 / नौ–9–2018–123ज / 11

प्रेषक

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9

लखनऊः दिनांक 04 अप्रैल, 2018

विषयः 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निकायों को अनुदान के रूप में धनराशि अवमुक्त की जाती है। तेरहवें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक थी। उक्त अवधि में भारत सरकार द्वारा नागर निकायों को समय–समय पर अनुदान निर्गत किया गया। 13वें वित्त आयोग की अवधि दिनांक 31 मार्च,2015 को समाप्त हो गयी। तत्पश्चात निकायों द्वारा उक्त अवधि के पश्चात कराये गये कार्यो का भुगतान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–558 / नौ–9–15–123ज / 11,दिनांक 23 जून,2015 द्वारा समस्त निकायों में अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक इस शर्त के साथ बढ़ायी गयी थी कि समस्त नागर निकायों द्वारा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यो का नियमानुसार व्यय / उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायगा। किसी भी दशा में उक्त अवधि के आगे की उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायगी।

2. उल्लेखनीय है कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत दिनांक 13 मार्च,2015 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कतिपय निकायों द्वारा अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके कारण निकायों में 13वें वित्त आयोग की धनराशि अप्रयुक्त रह गयी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात निकायों द्वारा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यो का भुगतान किये जाने हेतु उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने हेतु निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा मा0न्यायालय में दायर याचिकाओं में कतिपय प्रकरण में भुगतान की कार्यवाही पर विचार हेतु आदेश पारित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अपने जनपद की नागर निकायों में भुगतान हेतु लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कराये गये कार्यो का भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन एक टीम गठित कर करा लिया जाय तथा ऐसे कार्य, जो पूर्ण करा लिये गये हैं, मात्र भुगतान अवशेष हैं, उनकी वित्तीय / भौतिक प्रगति की सत्यापन रिपोर्ट सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

4.4.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश (द्वारा–निदेशक,स्थानीय निकाय, उ0प्र0,लखनऊ)
3. समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत । (द्वारा–निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ)

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।